R.T.E. Act.2009 की अनुशंषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ. उमा सैनी,
सहायक प्रोफेसर,
बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
आई.ए.एस.ई.(मानित) विश्वविद्यालय,
गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर

–:: सारांशः–

शिक्षा बालकों का मूल अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना स्वतन्त्र भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जिससे राज्य द्वारा परिवार और समुदायों की सहायता से किया जायेगा । आखिर क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009? सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि इस नियम के अन्तर्गत देश के समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर स्थिति में प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करवानी है। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। प्रश्न यह है कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्त्री ने RTE Act 2009 के संचालन, प्रबंधन, नियन्त्रण व क्रियान्वन की वास्तविक स्थिति जानने हेतु चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के सावर गांव की ममता आदर्श शिक्षण संस्थान, उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक स्थिति का मिलान किया गया है। **RTE Act 2009** का बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में क्या परिवर्तन आये हैं तथा इसका स्वरूप क्या है इसको समझने हेतु चार मापनी का निर्माण किया गया है जिसमें संस्था प्रधान, अध्यापकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों से **RTE Act 2009** से सम्बन्धित तैयार प्रश्नावली द्वारा अभिमत प्राप्त किये गये हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि **RTE Act 2009** द्वारा बाल शिक्षा में किस प्रकार का बदलाव हुआ है?

शब्दावलीः– RTE Act. 2009, बाल शिक्षा, विकास, आलोचना, स्वरूप

प्रस्तावनाः–

शिक्षा बालकों का मूल अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना स्वतन्त्र भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जिससे राज्य द्वारा परिवार

और समुदायों की सहायता से किया जायेगा । बाल शिक्षा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। मानव को मानव के रूप में विकसित करने हेतु शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैदिक काल में शिक्षा का उद्दश्य ज्ञानापार्जन था। मध्यकाल में शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन आया और शिक्षा धार्मिकता की ओर बढ़ चली। समय परिवर्तन के साथ ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य बालक बौद्धिक तथा नैतिक विकास करना रहा। धीरे–धीरे प्रकृति के परिवर्तनकारी चक्र के अनुसार आधुनिक काल में शिक्षा के उद्देश्यों में काफी बदलाव आया और शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगिण विकास करना हो गया। सन् 1947 के पश्चात् बाल शिक्षा के विकास हेतु अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास किये गये जिसने आधुनिक कालीन बाल शिक्षा के स्वरूप एवं उद्देश्यों को बदल दिया। भारत सरकार ने अगस्त 2009 को तथा राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को जो अधिसूचनाएँ जारी की, उनमें बच्चों के इस अधिकार को मान्यता दी गई है कि निःशुल्क निर्बाध व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। इससे लगभग एक करोड़ ऐसे बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो इस समय स्कूलों से बाहर है। केन्द्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्यों को इस वर्ष 25 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये हैं। अब बच्चे को घर पर मजबूरी में रखना अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा बल्कि खुद विद्यालय गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए बुला रहा है। आज समय परिवर्तन की वजह से शिक्षा के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। क्या शिक्षा आयोगों ने वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर बाल शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव रखे। क्या ये सुझाव वर्तमान संदर्भ में क्रियान्वित किये जा सकते हैं? क्या इन आयोगों ने बाल शिक्षा से सम्बन्धित उचित सुझाव प्रस्तुत किये थे? इन सभी संदर्भों में इनका अध्ययन करना उचित समझा गया। इन सब बातों का दोषी कौन है ? कई सवाल खड़े हैं कि क्या हम बाल शिक्षा की हालत को बेहतर बना पायेंगे ? क्या जो शिक्षा मिल रही है वह गुणवतापूर्ण है ? क्या सरकारी नीतियां बाल शिक्षा की गिरती साख का सुधार कर पाऐगी ? सवाल कई हैं ये सभी प्रश्न ‘‘RTE Act.2009 की अनुशंषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक अध्ययन’’ शोध अध्ययन के शीर्षक को स्पष्ट करते हैं।

अध्ययन का महत्वः–

राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता बालशिक्षा पर ही आधारित है। वर्तमान तथा भविष्य का अनुपम साधक बाल शिक्षा ही है। बाल शिक्षा के गिरते स्तर के कारण उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न खड़ा होना लाजिमी है लेकिन इस बात के जिम्मेदार कौन लोग है। इस ओर न तो राजनीतिक मंथन हो रहा है ना ही सामाजिक चितंन किया जा रहा है। बातें बाल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की अक्सर सुनने मे आती है। बाल शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाये कि प्रत्येक बालक को शिक्षा सुविधा सुलभ हो तथा वह इसका वास्तव में लाभ उठावें। बाल शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के तीन पग होगें। शिक्षा सुविधाओं को सर्वव्यापी बनाना, प्राथमिक स्कूलों में नामांकन को सर्वव्यापी बनाना तथा प्राथमिक स्कूलो में बालकों के टिके रहने को सर्वव्यापी बनाना। बाल शिक्षा के विकास हेतु वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेक प्रयास किये गये परन्तु वर्तमान समय में बाल शिक्षा के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र से उन्हें सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। अगर कुछ बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो उनके सामने सवाल है कि कहां पढ़ें? कैसे पढ़ें ? गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल है तो छत नही, शिक्षक स्कूल आते नहीं है, अगर आते भी हैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के प्रति कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल भी आकर क्या करें ? बाल शिक्षा की यथास्थिति जानने की जिज्ञासावश ही यह अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का औचित्यः–

भारतीय संविधान में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनविार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है परंतु भारत जैसे बड़े देश में अभी तक भी सभी को साक्षर बना पाना व्यवहारिक रूप से सम्भव नही हो सका है। प्राचीन काल में परिवार ही बालक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केन्द्र हुआ करते थे। माता पिता परिवार के अन्य सदस्य तथा इष्ट, मित्र, सम्बन्धी व पड़ोसी आदि व्यक्ति ही बालक के अध्यापक माने जाते थे। ये सभी अच्छे कार्यों की प्रेरणा देकर बालक को सदाचार का पाठ पढ़ाते थे, उसके भाषा, कौशल तथा गणित ज्ञान को बढ़ाते थे। प्राथमिक शिक्षा बालकों को अपने वातावरण से अनुकूलन करने योग्य बनाती है उसमें परस्पर सद्भावना व सहयोग की भावना विकसित

 ISSN NO: 0005-0601

करती है उनका शारीरिक व मानसिक विकास करती है, भाषा, कला व संगीत आदि के द्वारा आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करती है उन्हे आत्मनिर्भर बनाती है, युग परिवर्तन के साथ साथ न केवल जीवन जीने की कला में ही परिवर्तन आया है बल्कि उसका प्रभाव बालकों पर भी पड़ा है। उस समय की शिक्षा का उद्देश्य स्वामीभक्त व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों का निर्माण करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य बाल शिक्षा की व्यवस्था की गई।[1]एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन (असर 2014) के अनुसार भारत में कक्षा आठवीं के 25 फीसदी बच्चे दूसरी कक्षा को पाठ भी नही पढ़ सकते। राजस्थान में तो आठवीं तक के करीब 77 फीसदी बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी का एक भी हर्फ नही पहचान पाते हैं।[2] दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रत्येक एक किलोमीटर के फासले पर प्राथमिक विद्यालयों के होने की वजह से शिक्षा में घोर गिरावट आयी है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि बाल शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन के पश्चात भी बाल शिक्षा के विकास में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। बाल शिक्षा में अपेक्षित सुधार हेतु यह अध्ययन औचित्यपूर्ण है।

समस्या कथनः–

‘‘RTE Act.2009 की अनुशषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक अध्ययन’’।

अध्ययन के उद्देश्यः–

‘‘RTE Act.2009 की अनुशषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक अध्ययन’’।

अध्ययन का परिसीमनः–

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमायें है जो निम्नलिखित हैः–

RTE Act 2009 को समझने हेतु चार मापनी का निर्माण किया गया है जिसमें संस्था प्रधान, अध्यापकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों से RTE Act 2009 से सम्बन्धित तैयार प्रश्नावली द्वारा अभिमत प्राप्त किये गये हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि RTE Act 2009 द्वारा बाल शिक्षा में

1 of'k"B] fotUn dekj¼2005½] ^^f'k{kk 'kkL= dh ikjfHkd :ij[kk**] vtqu ifCyd'ku gkml 4831@24 igykn xyh] vlkjh jkM nfj;kxat] ubl fnYyh] i"B l- 23&24

2 feJk&'kfDr ikFkfed f'k{kk dk fxjrk Lrj Hkkx & 1

4

किस प्रकार का बदलाव हुआ है? इन प्रश्नावलियों में संस्था प्रधान से सम्बन्धित 12 प्रश्नों का निर्माण, अध्यापकों से सम्बन्धित 12 प्रश्नों का निर्माण, अभिभावकों से सम्बन्धित 10 प्रश्नों का निर्माण तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित 12 प्रश्नों का निर्माण किया गया है । जिसके तीन विकल्प दिये गये है – सहमत, अनिश्चित तथा असहमत

शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009:–

आखिर क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009? सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि इस नियम के अन्तर्गत देश के समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर स्थिति में प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करवानी है। हर बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले इसको प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों, राज्य कर्मचारियों, शिक्षा अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं राज्य सरकारों को अपने उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु निर्देशित एवं बाधित किया गया है। शाला में प्रवेश लेने वाला बच्चा समाज का एक अभिन्न अंग है। बच्चा अन्य इकाईयों से नहीं बल्कि शिक्षक एवं अभिभावकों से जुड़ा होता है। इसी क्रम में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत उन बच्चों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है जिनके लिए शिक्षा पाना महज एक ख्वाब था। अब उनके भी अरमान आसमां को छूने लगे हैं अब वह भी अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए तत्पर है। इस अधिनियम द्वारा अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक बालक व बालिका को दी जायेगी व इस नियम को सारे देश ने तहेदिल से स्वीकार किया है।

RTE आरक्षित तबकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। अनिवार्य शिक्षा शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता पर केन्द्रित है जिसे निरन्तर प्रयासों की जरूरत है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें VIII भाग तथा 31 अनुच्छेद हैं।

भाग 1. जिसमें अधिनियम में वर्णित शब्दावली की व्याख्या है तथा परिभाषाएं दी गई हैं।

भाग 2. जिसमें विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना, कृत्य तथा विद्यालय विकास योजना तैयार करना शामिल किया गया है।

भाग 3. जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के लिए विशेष प्रशिक्षण को लिया गया है।

भाग 4. जिसमें केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व का क्षेत्र व सीमाएं, केन्द्रीय सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना आदि शामिल किया है।

भाग 5. **विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व** – जिसमें कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश, समुचित सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज, प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि, विद्यालय को मान्यता, विद्यालय की मान्यता वापिस लेना आदि शामिल किया गया है।

भाग 6. **अध्यापक** – जिसमें न्यूनत्तम अर्हताएं, न्यूनत्तम अर्हताओं का शिथिलीकरण, न्यूनत्तम अर्हताओं का अर्जित किया जाना, अध्यापकों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें, अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्त्तव्य, शिष्य अनुपात बनाए रखना आदि शामिल किया गया है।

भाग 7. **पाठ्यचर्चा और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना** :– जिसमें शैक्षणिक प्राधिकारी, प्रमाण–पत्र प्रदान करना आदि शामिल है।

भाग 8. **बाल अधिकारों का संरक्षण** – जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्त्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की नीति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की नीति, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कृत्य, राज्य सलाहकार परिषद का गठन शामिल है।

विद्यालय का भौतिक सत्यापन :–

शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही साथ अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है।

प्रश्न यह है कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है। आज देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों की संख्या करोड़ों में है। राज्यों के पास वर्तमान विद्यालयों में RTE Act 2009 के संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रवन्ध है या नही? RTE Act 2009 का संचालन, प्रबंधन, नियन्त्रण, निरीक्षण का कार्य किस प्रकार हो रहा है? उसकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए तथा उसमें किस प्रकार की समस्याएं है? तथा उन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के उतर जानने के लिए RTE Act 2009 के संचालन, प्रबंधन, नियन्त्रण, निरीक्षण के वास्तविक स्वरूप को जानना आवश्यक है। प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्त्री ने RTE Act 2009 के संचालन, प्रबंधन, नियन्त्रण व क्रियान्वन की वास्तविक स्थिति जानने हेतु चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के सावर गांव की ममता आदर्श शिक्षण संस्थान, उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक स्थिति का मिलान किया गया है जो इस प्रकार है।

राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा RTE Act 2009 का क्रियान्वयन, संचालन, प्रबंधन, नियन्त्रण बहुत ही नियोजित तरीके से किया जा रहा है। जिसका स्वयं का सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के लिए अलग अलग पोर्टल है – गैर सरकारी विद्यालयों के लिए http://rte.raj.nic.in पोर्टल जिसके माध्यम से विभाग राज्य के प्रत्येक विद्यालय की समस्त जानकारी विद्यालय प्रबन्धन द्वारा तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त करता है तथा उन जानकारियों की वास्तविक स्थिति को जानने हेतु, उनके निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा गठित टीम प्रत्येक विद्यालय की भौतिक स्थिति का अवलोकन करता है तथा विद्यालय द्वारा दी

गई जानकारियों का विभागीय निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा सही पाये जाने पर उनका सत्यापन किया जाता है तत्पश्चात विद्यालय द्वारा विभागीय निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा की गई भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट को विभागीय वेबसाईट पर जिसमें विद्यालय की स्वयं की आई.डी. होती है उसमें उस रिपोर्ट को अपलोड करता है । प्राप्त आंकड़ों के सही सत्यापन के बाद ही विभाग द्वारा आगे के कार्य हेतु विद्यालय को निर्देशित करता है।

सरकारी विद्यालयों के लिए http://rajrmsa.nic.in एक एकीकृत हिन्दी व अंग्रजी माध्यम का पोर्टल है, जिसके माध्यम से राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं इन विद्यालयों के कार्मिक मय शिक्षकों से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन, विद्यालय के सत्रीय शैक्षणिक गतिविधियों की प्रविष्टी एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

वर्तमान में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में http://rajrmsa.nic.in, शालादर्पण पोर्टल, विद्यालय की आधारभूत सूचनाएं, कक्षा–वर्गवार विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारियां एवं विद्यालय के कार्मिकों से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन किया गया है। प्रविष्ट सूचनायें प्रामाणिक एवं तथ्यपरक हों इसके लिए विद्यार्थियों की टी.सी. एवं कार्मिकों के कार्य ग्रहण व कार्य मुक्त आदि का संधारण भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों की सूचनाएं, राजकीय आदेश विभाग द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस पोर्टल पर विभाग द्वारा स्वीकृत पदों तथा पदों के विरूद्ध लगे कार्मिकों का विवरण भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है।

शोधकर्त्री द्वारा इस प्रक्रिया को समझा गया तथा विद्यालय की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया गया है जो इस प्रकार हैः–

विभागीय प्रबन्धन

राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा RTE Act 2009 का क्रियान्वन, संचालन, प्रबंधन, नियन्त्रण बहुत ही नियोजित तरीके से तथा सूचना प्राद्योगिकी के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग का पोर्टल

http://rte.raj.nic.in जिसके द्वारा विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों द्वारा, अभिभावकों द्वारा तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा बहुत ही नियोजित तरीके से करता है। इसमें विद्यालय द्वारा कार्यवाही हेतु अलग से प्रावधान है, अभिभावकों या सामान्य नागरिकों के लिए पोर्टल में अलग से सुविधाएं दी गई हैं, तथा विभागीय कर्मचारीयों के लिए अलग लोगिन आई डी है। इसके मुख्य पृष्ठ पर विभाग द्वारा समय समय पर विद्यालय, अभिभावक व विभाग के लिए सूचनाएं, निर्देश तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाता है।

सत्र के प्रारम्भ से ही विभाग पोर्टल पर विद्यालयों के लिए आवश्यक निर्देश जैसे बालक के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, प्रवेश तिथि आदि से सम्बन्धि जानकारी प्रदान करता है तथा विद्यालयों को उपयुक्त निर्देश देता है जिनको विद्यालयों द्वारा समय सीमा के अन्दर पूरा करना होता है जिसमें बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक जानकारी जैसे जन्म प्रमाण, आधार कार्ड, जाति, लिंग, आय, बालक का प्रकार (दुर्बल या असुविधाग्रस्त) आदि जानकारी विद्यालयों द्वारा पूर्ति की जाती है। बालक से सम्बन्धित व विद्यालय से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात प्रबन्धन द्वारा निःशुल्क शिक्षा के लिए प्राप्त आवेदनों का लॉटरी द्वारा निर्धारण किया जाता है। विद्यालयों द्वारा सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है जिसमें विद्यालयों द्वारा दी गई जानकारी को भौतिक सत्यापन दल द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा जानकारी के सही नहीं पाये जाने पर उसे विद्यालयों द्वारा सही करवाया जाता है । तत्पश्चात ही आगे की कार्यवाही की जाती है जो इस पोर्टल पर पूर्णतः नियंत्रित है। इस पोर्टल पर विद्यालयों/विद्यालय से सम्बन्धित, विद्यालय प्रबन्ध से सम्बन्धित तथा वालकों से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी पूर्णतः प्राप्त होने पर ही चयनित बालकों के पुनःर्भरण हेतु आवश्यक राशि विभाग द्वारा विद्यालयों को दी जाती है। जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया शोधकर्त्री ने स्वयं **ममता आदर्श शिक्षण संस्थान, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सावर** के निरीक्षण से प्राप्त की हैं जो निम्न प्रकार है।

विद्यालय का नाम –ममता आदर्श शिक्षण संस्थान, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सावर

विद्यालय के निरीक्षण से तथा विद्यालय के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट से मिलान करने के पश्चात प्राप्त जानकारी के आधार पर विद्यालय रिपोर्ट का **RTE Act 2009** की अनुशंषानुसार मिलान किया गया जिसमेंः–

1. विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक कक्षाए संचालित होती है। जिसके मान्यता प्रमाण पत्र, सम्बन्धित बोर्ड के मान्यता प्रमाण पत्र सही पाये गये।
2. विद्यालय RTE Act 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश देता है।
3. विद्यालय बालक के प्रवेश के समय बालक के दुर्बल या असुविधाग्रस्त होने के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करता है।
4. विद्यालय में कोई भी बालक केचमेन्ट ऐरिया से बाहर का नहीं है।
5. विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस का विवरण भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सही पाया गया है।
6. विद्यालय में रिपोर्टिंग प्रपत्र के अनुसार कैश बुक, रसीद, बैंक बुक, एस.आर. रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर तथा बालकों से सम्बन्धित सभी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि सही पाये गये।
7. विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षण कार्य कराने वाले अध्यापकों की संख्या 8 व कक्षा 1 से 8 तक बच्चों की कुल संख्या 234 है जो RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर सही पाया गया।
8. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक अभ्यार्थियों के आवश्यक दस्तावेजों, योग्यता के आधार पर RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार किया जाता है।

9. विद्यालय प्रबन्धन में संस्था प्रधान, विद्यालय के विभागीय कार्य के लिए लिपिक व विद्यालय के रख–रखाव के लिए कर्मचारी आदि की व्यवस्था पायी गई।

10. विद्यालय भवन में RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार सही पाया गया जिसमें बालक–बालिकाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था, बिजली, पानी की व्यवस्था सही पायी गई है।

11. बालकों का निर्धारण जैसे दुर्बल, असुविधाग्रस्त RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार तथा विभाग की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सही पाया गया।

12. विद्यालय द्वारा RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार विद्यालय की सम्पूर्ण गतिविधियों का पोर्टल पर सत्रवार प्रत्येक वर्ष का विवरण सही व आवश्यकतानुरूप उपलब्ध है। विद्यालय को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के पुनर्भरण हेतु आवश्यक राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है।

विश्लेषण :–उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर

1. विद्यालय के RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार मान व मानक सही पाये गये हैं।

2. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनकी अर्हताएं तथा सेवा के निबंधन और शर्तें, दस्तावेज, योग्य RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार सही पाया गया है।

3. विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षण कार्य कराने वाले अध्यापकों की संख्या 8 व कक्षा 1 से 8 तक बच्चों की कुल संख्या 234 है जो RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर सही पाया गया।

4. विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस का विवरण भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सही पाया गया है तथा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जाता है।

5. विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षण कार्य कराने वाले अध्यापकों की संख्या पूर्ण पायी गयी तथा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से कर्मचारियों की व्यवस्था पाई गई।

6. विद्यालय में पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार के आधार पर सही पायी गयी।

7. बालक के शिक्षा के अधिकार को विभाग द्वारा निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है।

8. पोर्टल पर विद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है जिसका विभाग द्वारा शिकायत के निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

9. RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार विद्यालय में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विभाग द्वारा विद्यालय के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

10. विद्यालय में विद्यार्थियों के मूल्यांकन का विभाग द्वारा विद्यालय से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करके निरीक्षण किया जाता है।

11. निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के पुनर्भरण के लिए विद्यालय को विभाग द्वारा पुनर्भरण राशि प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान बाल शिक्षा का स्वरूप प्रत्येक विद्यालय में RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार के अनुरूप सही पाया गया है।

RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के गुण व दोष :–

1. **दुर्गम क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का ना होना**
2. **प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव**
3. **छात्र शिक्षक अनुपात**
4. **शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य भार**
5. **पाठ्यपुस्तकों की व्यावहारिक शैली न होना**
6. **निःशुल्क शिक्षा का पूर्णतया लागु ना होना**
7. **छात्र अनुशासनहीनता**

8. **शिक्षा स्तर की गिरावट**
9. **जैसे भी हो परीक्षा उतीर्ण करना ही ध्येय**

RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के गुणः–

1. **विद्यालयों में नामांकन वृद्धि**
2. **कमजोर वर्ग में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता**
3. **विद्यालय में प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त व निरन्तर निरीक्षण**
4. **विद्यालय के बजट में वृद्धि**
5. **नियमों का प्रत्येक विद्यालय में कड़ाई से पालन**
6. **गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा शुल्क की मनमानी वसूली से राहत**
7. **शिक्षा के प्रति चेतना का विकास**
8. **सीखने के सिद्धान्तों पर आधारित शिक्षा**

प्रयुक्त उपकरण :–

RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के अध्ययन

परिचय :–

RTE Act 2009 आरक्षित तबकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। अनिवार्य शिक्षा शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता पर केन्द्रित है। **RTE Act 2009** का बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में क्या परिवर्तन आये हैं तथा इसका स्वरूप क्या है इसको समझने हेतु चार मापनी का निर्माण किया गया है जिसमें संस्था प्रधान, अध्यापकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों से **RTE Act 2009** से सम्बन्धित तैयार प्रश्नावली द्वारा अभिमत प्राप्त किये गये हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि **RTE Act 2009** द्वारा बाल शिक्षा में किस प्रकार का बदलाव हुआ है? इन प्रश्नावलियों में संस्था प्रधान से सम्बन्धित 12 प्रश्नों का निर्माण, अध्यापकों से सम्बन्धित 12 प्रश्नों का निर्माण, अभिभावकों से सम्बन्धित 10 प्रश्नों का निर्माण तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित 12 प्रश्नों का निर्माण किया गया है । जिसके तीन विकल्प दिये गये है – सहमत, अनिश्चित तथा असहमत

प्रत्येक प्रश्न के आधार पर RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार बाल शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के अध्ययन की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है।

समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण :–

न्यादर्श संस्था प्रधान

क्रं.सं.	कथन	संख्या	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण हैं	20	18	1	1
	प्रतिशत	100	90.00	5.00	5.00
2.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश RTE Act 2009 के मानकों के अनुसार होता है।	20	19	0	1
	प्रतिशत	100	95.00	0.00	5.00
3.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार प्रवेश के समय अक्षम बालकों से संबंधित दस्तावेज अनिवार्यतः लिये जाते हैं।	20	18	1	1
	प्रतिशत	100	90.00	5.00	5.00
4.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय के हमारे सभी बालक संबंधित क्षेत्रों से हैं।	20	20	0	0
	प्रतिशत	100	100.00	0.00	0.00
5.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय का कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस से संबंधित सभी दस्तावेजों का समय समय पर संधारण होता है।	20	20	0	0
	प्रतिशत	100	100.00	0.00	0.00
6.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार विद्यालय में रिपोर्टिंग प्रपत्र में सभी दस्तावेज पूर्ण रखे जाते हैं।	20	19	0	1
	प्रतिशत	100	95.00	0.00	5.00
7.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अध्यापक व छात्रों की संख्या का अनुपात सही है।	20	20	0	0
	प्रतिशत	100	100	0	0

८.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों एवं योग्यता के आधार पर की जाती है।	20	20	0	0
	प्रतिशत	100	100	0	0
९.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति में अलग अलग विभाग में सभी कर्मचारी नियुक्त हैं।	20	19	1	0
	प्रतिशत	100	95	5	0
१०.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय भवन में सभी आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था है ।	20	18	1	1
	प्रतिशत	100	90	5	5
११.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय की सम्पूर्ण गतिविधियां शिक्षा पोर्टल पर सत्रवार प्रत्येक वर्ष का विवरण उपलब्ध है।	20	20	0	0
	प्रतिशत	100	100	0	0
१२.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय को बालकों के पुनर्भरण हेतु आवश्यक राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है।	20	18	1	1
	प्रतिशत	100	90	5	5

न्यादर्श अध्यापक

क्रं.सं.	कथन	संख्या	सहमत	अनिश्चित	असहमत
१.	RTE Act 2009 से विद्यालय में नामांकन वृद्धि हुई है।	100	100	0	0
	प्रतिशत	100	100	0	0
२.	RTE Act 2009 से कमजोर वर्ग में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है।	100	97	3	0
	प्रतिशत	100	97	3	0

3.	RTE Act 2009 से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।	100	90	10	0
	प्रतिशत	100	90	10	0
4.	RTE Act 2009 से सभी विद्यालयों में अध्यापक–विद्यार्थी अनुपात में सुधार हुआ है।	100	89	11	0
	प्रतिशत	100	89	11	0
5.	RTE Act 2009 से विद्यालय में शिक्षा बाधित हुई है।	100	84	15	1
	प्रतिशत	100	84	15	1
6.	RTE Act 2009 से विद्यालय में गैर शैक्षणिक कार्यों में वृद्धि हुई है।	100	86	14	0
	प्रतिशत	100	86	14	0
7.	RTE Act 2009 से विद्यालय में आम लोगों की भूमिका विद्यालय के शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है।	100	85	12	3
	प्रतिशत	100	85	12	3
8.	RTE Act 2009 के प्रभाव से विद्यालय में प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त व निरन्तर निरीक्षण होता है।	100	80	17	3
	प्रतिशत	100	80	17	3
9.	RTE Act 2009 से विद्यालय के बजट में वृद्धि हुई है।	100	78	15	7
	प्रतिशत	100	78	15	7
10.	RTE Act 2009 से अभिभाकों में शिक्षा के प्रति चेतना का विकास हुआ है।	100	85	10	5
	प्रतिशत	100	85	10	5
11.	RTE Act 2009 के नियमों का प्रत्येक विद्यालय में कड़ाई से पालन होता है।	100	81	15	4
	प्रतिशत	100	81	15	4
12.	RTE Act 2009 से शिक्षा में भृष्टाचार को बढावा मिला है।	100	83	7	10
	प्रतिशत	100	83	7	10

न्यादर्श अभिभावक

क्रं.सं.	कथन	संख्या	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1.	RTE Act 2009 से सभी विद्यालयों में बुनियादी सुधार हुए हैं।	100	100	0	0
	प्रतिशत	100	100	0	0
2.	RTE Act 2009 से सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक ही शिक्षण कार्य करवाते हैं।	100	98	2	0
	प्रतिशत	100	98	2	0
3.	RTE Act 2009 से बच्चों की फीस व अन्य विद्यालयी खर्चों से राहत मिली है।	100	88	10	2
	प्रतिशत	100	88	10	2
4.	RTE Act 2009 से सभी विद्यालयों में अध्यापक–विद्यार्थी अनुपात में सुधार हुआ है।	100	75	15	10
	प्रतिशत	100	75	15	10
5.	RTE Act 2009 से गैर सरकारी विद्यालयों शिक्षा शुल्क की मनमानी वसूली से राहत मिली है।	100	90	10	0
	प्रतिशत	100	90	10	0
6.	RTE Act 2009 से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।	100	96	3	1
	प्रतिशत	100	96	3	1
7.	RTE Act 2009 से बच्चों की शिक्षा में भेदभाव होता है।	100	70	10	20
	प्रतिशत	100	70	10	20
8.	RTE Act 2009 का प्रभाव सरकारी विद्यालयों तक ही सीमित है।	100	84	7	9
	प्रतिशत	100	84	7	9
9.	RTE Act 2009 के लागू होने के बाद भी विद्यालय के बजट में वृद्धि हुई है।	100	60	8	32
	प्रतिशत	100	60	8	32
10.	RTE Act 2009 से अभिभावकों में शिक्षा के प्रति चेतना का विकास हुआ है।	100	92	2	6
	प्रतिशत	100	92	2	6

न्यादर्श विद्यार्थी

क्रं.सं.	कथन	संख्या	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।	400	360	15	25
	प्रतिशत	100	90.00	3.75	6.25
2.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार विद्यार्थी के अक्षम होने की स्थिति में विद्यालय द्वारा आवश्यक प्रयास किये जाते हैं।	400	380	10	10
	प्रतिशत	100	95.00	2.50	2.50
3.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारा विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।	400	400	0	0
	प्रतिशत	100	100.00	0.00	0.00
4.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार विद्यालय के सभी छात्र इसी एरिया से संबंधित हैं।	400	400	0	0
	प्रतिशत	100	100.00	0.00	0.00
5.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में फीस के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।	400	370	5	25
	प्रतिशत	100	92.50	1.25	6.25
6.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार विद्यालय में रिपोर्टिंग प्रपत्र में बालकों से संबंधित सभी दस्तावेज अनिवार्यतः लिये जाते हैं।	400	375	5	20
	प्रतिशत	100	93.75	1.25	5.00
7.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में शिक्षक–छात्र अनुपात सही है।	400	362	12	26
	प्रतिशत	100	90.50	3.00	6.50
8.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में पूर्ण योग्य व प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त हैं।	400	374	6	20
	प्रतिशत	100	93.50	1.50	5.00
9.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त प्रबंध समिति में सभी कार्मिक नियुक्त हैं।	400	360	25	15
	प्रतिशत	100	90.00	6.25	3.75

१०.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में भौतिक संसाधन बालक–बालिकाओं के अनुसार पूर्ण है।	400	372	8	20
	प्रतिशत	100	93.00	2.00	5.00
११.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों का पोर्टल सत्रवार प्रत्येक वर्ष का विवरण उपलब्ध है।	400	340	20	20
	प्रतिशत	100	85.00	5.00	5.00
१२.	RTE Act 2009 की अनुशंषानुसार हमारे विद्यालय में बालक–बालिकाओं के विकास हेतु आवश्यक राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।	400	370	10	20
	प्रतिशत	100	92.50	2-50	5.00

निष्कर्ष :–

इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय के आलोचनात्मक रूप से कहा जा सकता है कि RTE Act 2009 के लागू होने के पश्चात निश्चित रूप से बाल शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है लेकिन अभी ये शुरूआत है जिसमें अभी भी कुछ कमियां है । जिनको प्रशासन अपने निरन्तर प्रशासन, नियंत्रण व निरीक्षण द्वारा उन कमियों को दूर करने का प्रयास अभी भी जारी है। जिस गति से तथा जिस प्रकार के प्रशासन, नियंत्रण व निरीक्षण द्वारा RTE Act 2009 का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है उससे बाल शिक्षा का विकास तथा बाल शिक्षा के प्रति जन जागरूकता का विकास सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

भावी शोधकर्ताओं के लिए सुझाव :–

- ❖ भारतीय बाल शिक्षा : एक विवेचनात्मक अध्ययन ।
- ❖ बाल शिक्षा का इतिहास : एक विशलेषणात्मक अध्ययन ।
- ❖ आर.टी.ई. एक्ट २००९ की अनुशंषाओं का समीक्षात्मक अध्ययन।
- ❖ आर.टी.ई. एक्ट २००९ द्वारा बाल शिक्षा का विकास : एक विवेचनात्मक अध्ययन ।
- ❖ भारतीय बाल शिक्षा के अनुसार बालक के व्यक्तित्व विकास के आयाम : एक विशलेषणात्मक अध्ययन ।
- ❖ भारतीय बाल शिक्षा का काल क्रमानुसार तुलनात्मक अध्ययन ।

–:: सन्दर्भ ग्रन्थ सूची ::–

1. प्रो0 डा0 बायती जमनालाल, (जनवरी 2011 विद्या मेघ), ''शिक्षा का विकासोन्मुखी क्षेत्र'' (पृष्ठ सं. 6)
2. वशिष्ठ, विजेन्द्र कुमार(2005), ''शिक्षा शास्त्र की प्रांरभिक रूपरेखा'', अर्जुन पब्लिकेशन हाउस 4831/24 प्रहलाद गली, अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 23–24
3. मिश्रा–शक्ति प्राथमिक शिक्षा का गिरता स्तर भाग – 1
4. शर्मा, राजकुमारी (2008), 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ', राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा, पृष्ठ सं.148
5. पी.डी. पाठक (2009), ''भारतीय शिक्षा का विकास'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 28/115 ज्योति ब्लॉक संजय पैलेस, आगरा
6. शुक्ला, सी.एन. (2007), ''भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
7. एस.पी. चौबे, (2008), ''भारतीय शिक्षा का इतिहास'', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा